**F. No. IC-15/31/2026- Imp. Cell**
**Government of India**
**Ministry of Law and Justice**
**Department of Legal Affairs**
**(Implementation Cell)**
*******

24108, Kartavya Bhawan-2, New Delhi
Dated: 22.07.2026

**To,**

The Secretary,
Bar Council of Delhi,
2/6, Siri Fort Institutional Area,
Khel Gaon Marg, New Delhi-49.

**Subject: Improper use of the State Emblem of India by the Bar Associations of Delhi-reg.**

**Sir,**

I am directed to forward herewith a copy of the complaint received from Shri Amarnath on the subject mentioned above and to say that the subject matter pertains to State Bar Council of Punjab & Haryana under Section 6(1) (dd) of the Advocates Act, 1961. Therefore, the same is being forwarded to theBar Council of Delhi for taking necessary action on the matter as per the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 and State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007. Action taken in this regard may kindly be communicated to the to this Department.

2. This issues with the approval of the competent authority.

**Yours faithfully**

22/07/2026

**(Amit Kumar)**
Under Secretary to the Govt. of India
Ph. No. 011-24016117 (O)
Email: impcell-dla@nic.in

सेवा में

1. गृह सचिव,
   भारत सरकार

2. सचिव(उपभोक्ता मामले विभाग)
   भारत सरकार

3. सचिव(विधि मामले विभाग)
   भारत सरकार

विषय:- दिल्ली के बार एसोसिएशनों के द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक(National Emblem) के अनुचित प्रयोग के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मैं आपका ध्यान दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों, के विद्वान अधिवक्ताओं/वकीलों/विधिक व्यवसायियों के एसोसिएशनों के द्वारा वाहन के पार्किंग लेबल पर भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक का अनुचित प्रयोग किया जाना प्रतीत हो रहा है। राज्यों एवं जिला के बार एसोशिएशन का राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग से सुरक्षा एवं ठगी का भारी खतरा हो सकता है, आम जनता यह समझती है कि राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग केवल सरकार के बड़े अधिकारी द्वारा ही किया जाता है, अतः एडवोकेट/वकील एक सरकार से संबंधित व्यक्ति है और कम-पढ़ें लिखे सुरक्षा कर्मी जैसा होम गार्ड/दिल्ली सरकार के मार्शल/अर्द्ध सैनिक दल के जवान एवं पुलिस के जवान राष्ट्रीय संप्रतीक लगे वाहनों की चेकिंग में सख्ती से बचतें है एवं नरमी बरतते है, धाराप्रवाह अंग्रेजी में कानूनी भाषा बोलने वाले विद्वान वकीलों से कौन पंगा लें। यह तो कानून के विद्वानों के संगठनों द्वारा ही राष्ट्रीय संप्रतीक का ऐसा प्रयोग कानून के डार्क पैटर्न का सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। यह अनुचित प्रयोग ना तो शासकीय और ना ही व्यवसायिक बल्कि राष्ट्रीय संप्रतीक के अनुचित प्रयोग महाठगी की श्रेणी में आता है।

2. मुझे अखण्ड विश्वास है कि दिल्ली के किसी भी बार एसोशिएशनों को सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं मिली होगी। यहां तक की राष्ट्रीय संप्रतीक के उपर कुछ भी नहीं रखा या लिखा जाता है, लेकिन बार एसोशिएशन द्वारा अपना नाम लिखना राष्ट्रीय संप्रतीक का घोर राष्ट्रीय अपमान है। नीचे एडवोकेटों के एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का कुछ फोटो अटेच कर रहा हूँ। सरकार गोपनीय तरीके से एक कमिटि बना कर बार एसोसिएशनों के सभी इकाई/न्यायालय के परिसर में खड़ी कारों में पार्किंग लेबल में अवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय संप्रतीक के प्रयोग की जाँच की जाए एवं विधि सम्मत मुकदमा/भारी जुर्माना एवं जुमनि का व्यापक प्रचार प्रसार भी की जाए ताकि अन्य लोग भी राष्ट्रीय संप्रतीक का अनुचित प्रयोग ना कर सकें। The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Emblems and Name(Prevention of Improper use) Act, 1950 को ध्यान में रखते हुए मामलें की जांच की जाए। इसे ऐसा ना समझा जाए कि यह तो केवल एक पार्किंग लेबल है, बल्कि यह देखा जाए की इससे आम जनमानस के भीतर क्या संदेश जाता है। विधि विद्वानों द्वारा वर्षों से राष्ट्रीय संप्रतीक के दुरुपयोग को उच्च कोटि का अपराध माना जाए और भारतीय न्याय संहिता की अन्य सुसंगत धारा के अन्तर्गत मामलें की जाँच की जाए।

3. अनुरोध है कि नाम एवं पहचान गुप्त रखी जाए अन्यथा ये बेलगाम वकील व्यवसायी कौम किसी को कहीं के भी कोर्ट में किसी भी बात पर घसीट लेंगे।

भवदीय

(अमरनाथ)

ADVOCATE
DLJCV1377
06-04-2023
2021
ADVOCATE

55